न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प पचपदरा

पीठासीन अधिकारी श्री ओ.पी. बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 01/2010

प्राथीगण

1. दलपतसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत
2. ईश्वरराम पुत्र हीराराम जाति मेगवाल बनाम
3. दीपाराम पुत्र गुणेशाराम जाति भील
4. मिश्राराम पुत्र कनीराम जाति पुरोहित

निवासी होटलू तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

विप्रार्थीगण

1. ढलाराम पुत्र मादाराम
2. कानाराम पुत्र मादाराम
3. मानाराम पुत्र मादाराम
4. जोगाराम पुत्र मादाराम
5. दानाराम पुत्र मादाराम
6. शांतिदेवी पत्नी मादाराम जाति भील निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन), नियम 1970

उपस्थित– 1. प्रार्थीगण अनुपस्थित।
2. विप्रार्थीगण संख्या 01 उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय दिनांक 14.6.2017

1. संक्षेप में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता एवं विप्रार्थी संख्या 06 के पति मादाराम पुत्र सकाराम जाति भील को ग्राम होटलू पटवार मण्डल बीठूजा के खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 459/273 रकबा 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 15.6.1966 को किया गया था। प्रार्थीगण का कथन हैं कि आवंटन सुदा भूमि वक्त सेटलमेंट में गलती से बारानी अव्वल दर्ज हुई है, परन्तु उक्त भूमि कभी काबिल काश्त नहीं रहीं है तथा हमेशा से ही श्मसान के काम आ रही है।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

उक्त आवंटन सुदा भूमि पर न तो मादाराम पुत्र सकाराम का कब्जा काश्त रहा एवं न ही विप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त रहा है। तथा विप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि का लगान अदा नहीं किया गया एवं न ही इनके नाम गिरदावरी दर्ज होती है। इसलिए विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता एवं विप्रार्थी संख्या 06 के पति को ग्राम होटलू में किया गया भूमि आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

2. इस पर हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारो को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

3. उपस्थित विप्रार्थी संख्या 01 को सुना गया। विप्रार्थी 01 ने कथन किया कि आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रार्थी दलपतसिंह फौत हो गये है। तथा उसके पिता मादाराम पूर्व में फौत हो जाने के कारण आवंटित भूमि हमारे नाम दर्ज हो गई। हमारे द्वारा उक्त आवंटित भूमि का आगे बेचान कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता एवं विप्रार्थी संख्या 06 के पति मादाराम पुत्र सकाराम को ग्राम होटलू के खसरा नंबर 273 नये खसरा नंबर 459/273 रकबा 25 बीघा भूमि का दिनांक 15.6.1966 को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन), नियम 1970 के तहत पेश किया है। प्रार्थी संख्या 01 दलपतसिंह का स्वर्गवास हो गया तथा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के पिता एवं विप्रार्थीगण संख्या 06 के पति मादाराम जिसे भूमि का आवंटन किया गया था, का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। विप्रार्थीगण के पूर्वज मादाराम को आवंटित भूमि वक्त सेटलमेंट बारानी अव्वल दर्ज थी तथा उसी अनुरूप भूमि आवंटन सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवंटित की गई है। आवंटन के बाद विप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र में यह नहीं बताया कि विप्रार्थीगण ने किस आवंटन शर्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

की पालना नहीं की है। आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के पश्चात 1970 के नियम 14(4) प्रभावी नहीं रहते। अतः 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत केवल खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही कार्यवाही की जा सकती है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुकने के बाद आवंटी वे सभी अधिकार हासिल कर लेता है जो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात नियम 14 (4) 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो सकती। नियम 14 (4) के अन्तर्गत तथ्यों को छिपाते हुए, कपट या दुर्व्यप्रर्दशन के द्वारा आवंटन किया गया हो अथवा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पिता एवं विप्रार्थी संख्या 06 के पति द्वारा आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं करने का तथ्य साबित नहीं कर पाये एवं न ही किसी प्रकार की विधिक त्रुटि साबित कर पाये है। अतः प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में गलत आवंटन को साबित करने में असमर्थ रहने से नियम 14(4) का प्रकरण नहीं बनना प्रकट होता है।

4. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हस्तगत प्रकरण में भूमि आवंटन निरस्त करने के कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय केम्प कोर्ट पचपदरा में आज दिनांक 14.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)
अपर कलक्टर, बाड़मेर